न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 237/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जगराम पुत्र सोना 2. कला पुत्र लाखा 3. तुलसा पुत्र दुर्गा 4. तिलोका पुत्र सोना 5. रतनी पत्नी सोना 6. हरखा पुत्र दुर्गा 7. रूपा पुत्र लाखा जातियान जाट निवासीगण पाबुबेरी, कारटिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. किशनी पत्नी मंगला 2. चूना पुत्र मंगला 3. चूनी पत्नी कालाराम 4. जैसा पुत्र मंगला 5. टीकमा पुत्र धुड़ा 6. शेरा पुत्र धुड़ा 7. हुकमाराम पुत्र कालाराम जातियान जाट निवासीगण पाबुबेरी, कारटिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 8. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या :–01 से 07 के वकील– श्री मेहराराम सारण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/02/2026

प्रार्थीगण जगराम पुत्र सोना जाति जाट निवासी पाबुबेरी, कारटिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है– "प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत ग्राम पाबु बेरी, पटवार हल्का कारटीया भु.अभि. नि. क्षेत्र सोनडी, तहसील सेडवा के खसरा नम्बर 335/51 रकबा 4.9372 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 9.4858 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 6.2483 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 448/51 रकबा 0.0324 हेक्टर खसरा नम्बर 452/53 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 454/247 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446/51 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449/53 रकबा 3.6664 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451/53 रकबा 1.0441, खसरा नम्बर 453/247 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247/51 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248/53 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333/247

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/51 रकबा 2.8895 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450/53 रकबा 1.4407 हैक्टेयर के आये हुए हैं. जिसका मूल खसरा नम्बर 51, 53 था। उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई है। नकल जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। मौके पर कब्जेकाश्त ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का, भू–निरीक्षक द्वारा नक्शे में गलत तरमीम कर दी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे, ढाणी से भिन्न गलत तरमीम की है। ऐसी सूरत में पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण से मिलावट कर मौके पर कब्जेकाश्त व विभाजन प्रस्ताव में बने नक्शे से भिन्न अच्छी मिट्टी वाली भूमि पर अप्रार्थीगण की तरमीम कर दी तथा धोरे की जमीन हमारे तरमीम कर दी, नक्शे में की गई तरमीम मौके से भिन्न स्थिति की गई, जिससे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये की गई तरमीम कब्जे, बंट के विपरीत किया इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, मांठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीगण हकदार होने से नक्शा दुरुस्त का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि ऋण लेने के लिए, अपने खेत की नेखमबंदी करवानें के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी, मांठ अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम–पाबु बेरी, पटवार हल्का कारटीया भू.अभि. नि. क्षेत्र सोनडी, तहसील सेडवा के खसरा नम्बर 335/51 रकबा 4.9372 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 9.4858 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 6.2483 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 448/51 रकबा 0.0324 हेक्टर खसरा नम्बर 452/53 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 454/247 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446/51 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449/53 रकबा 3.6664 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451/53 रकबा 1.0441, खसरा नम्बर 453/247 रकचा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247/51 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248/53 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333/247 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/51 रकबा 2.8895 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450/53 रकबा [illegible]07 हैक्टेयर का मौके पर स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

कब्जा, ढाणी, मांठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2025/1749 दिनांक 22.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/2124 दिनांक 12.12.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन ''मौके पर उपस्थित खातेदारों एवं मोतबरानों के रूबरू खसरा नम्बर 247/51, 248/53 व 333/247 रकबा क्रमशः 35—09 बीघा, 38—11 बीघा व 33—15 बीघा का आपसी सहमति से दिनांक 10.07.2020 को तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/2020/5687 की पालना में जरिए नामांतरकरण संख्या 504 दिनांक 16.07.2020 को किया गया। मौके पर खातेदारों को दिशाओं का ज्ञान न होने के कारण विभाजन गलत हो गया। पूर्व में हुए नामान्तरकरण संख्या 177 में बेचान के तहत भी पूर्व में तरमीम गलत लो गई। मौके पर हुकमाराम पुत्र कालाराम, चूनी पत्नी कालाराम को खसरा नम्बर 247/51 रकबा 4—02 बीघा व खसरा नम्बर 248/53 रकबा 22—13 बीघा किया गया। जबकि मौका व कब्जा अनुसार हुकमाराम पुत्र कालाराम चूनी पत्नी कालाराम को खसरा संख्या 248/53 में परिशिष्ट ''ब'' अनुसार रकबा 4 व 22—16 बीघा कुल 26—16 बीघा शुद्ध किए जाने की सहमति दी व खातेदार चूना, जैसा पि. मंगला किशनी पत्नी मंगला जिनके खसरा संख्या 247/51, 248/53, 333/247 रकबा क्रमशः 13—06, 0—08, 13—00 बीघा किया गया, जबकि मौका व कब्जा अनुसार चूना, जैसा, मंगला व किशनी को खसरा नंबर 247/51, 248/53, 333/247 रकबा क्रमशः 13—09 बीघा, 0—10 बीघा, 12—18 बीघा जुमले रकबा 26—17 बीघा शुद्ध किए जाने की सहमति दी। खातेदार शेरा वल्द धुड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

के खसरा नम्बर 247/15 रकबा 17—17 व खसरा नम्बर 248/53 रकबा 8—18 बीघा विभाजन किया गया। जबकि खातेदार शेरा के मौका व कब्जा काश्त के अनुसार शेरा को खसरा नम्बर क्रमशः 247/51 व 248/53 रकबा क्रमशः 16—18 बीघा व 9—19 बीघा जुमले रकबा 26—17 बीघा शुद्ध किए जाने की सहमति दी। खातेदार टीकमा पुत्र धुड़ा के खसरा नंबर 248/53 रकबा 6—09 बीघा, खसरा नंबर 333/247 रकबा 20—05 बीघा का विभाजन किया गया। मौके पर टीकमा के खसरा नंबर क्रमशः 247/51, 333/247, 248/53 रकबा क्रमशः 1—10 बीघा, 15—17 बीघा, 9—10 बीघा जुमले रकबा 26—17 बीघा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आपसी सहमति सभी खातेदारों द्वारा दी गई। मौके पर खसरा संख्या 247/51, 248/53 व 333/247 रकबा क्रमशः 0—04 बीघा, 0—03 बीघा, 0—10 बीघा मौके व कब्जे अनुसार क्रमशः 0—03 बीघा, 0—03 बीघा, 0—02 बीघा परिशिष्ट 'ब' अनुसार शुद्ध किया जाना है। रास्ता भूमि होने से सभी खातेदारों ने उक्त भूमि की किस्म गै.मु.रास्त दर्ज करने हेतु सहमति दी। मौके पर मूल खसरा नंबर 53 रकबा 38—12 बीघा जो कि परिशिष्ट 'ब' अनुसार खसरा नंबर 53 का रकबा 30—05 बीघा एवं खसरा नंबर 51 रकबा 58—12 बीघा जो कि परिशिष्ट 'ब' अनुसार 64—01 बीघा व खसरा नंबर 335/51 का रकबा 30—10 बीघा, जो परिशिष्ट 'ब' अनुसार 33—08 बीघा शुद्धि करने हेतु सहमति दी व शुद्ध किया गया। नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' फर्द मौका का अभिन्न अंग है। फर्द मौका मौके पर बनाई गई व उपस्थित मौतबरान के हस्ताक्षर करवाए गए।"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 237/2025 उनवान जगराम वगैरा बनाम किशनी वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी, पटवार मण्डल कारटिया के ग्राम पाबुबेरी के खसरा संख्या 335/51 रकबा 4.9372 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 9.4858 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 6.2483 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 448/51 रकबा 0.0324 हेक्टर खसरा नम्बर 452/53 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 454/247 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 446/51 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 449/53 रकबा 3.6664 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451/53 रकबा 1.0441, खसरा नम्बर 453/247 रकचा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247/51 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248/53 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333/247 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/51 रकबा 2.8895 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450/53 रकबा 1.4407 हैक्टेयर भूमि की तहसीलदार सेड़वा द्वारा परिशिष्ट ''ब'' में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट ''ब'' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रकबा व तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। **तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/2124 दिनांक 12.12.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

(बद्रीनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2124

दिनांकः– 19.12.2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 237 / 2025 अनवान जगराम वगैरह बनाम किशनी वगैरहा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 237 / 2025 के के क्रम में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 237 / 2025 अनवान जगराम वगैरह बनाम किशनी वगैरहा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम पाबूबेरी के खसरा नंबर 247 / 51, 248 / 53, 353 / 247, में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक सोनडी द्वारा दिनांक 01.10.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंग्नः– उरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी ...
तहसील सेड़...

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब

सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 237/2025 बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 237/2025 अनवान जगराम व और बनाम किशनी व और अन्तर्गत धारा 131, 136 प्रकरण मौके पर मौतबरान के बयान तैयार कर अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

14/[illegible]

पटवार सानड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी ...
तहसील सेड़वा

फर्द - मौका

प्रार्थी को

आज दिनांक 01/10/2025 को मौजा पाबेरी स्थित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद संख्या 237/2025 एवम् श्रीमान् तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक श्र.प्र./844-845 दिनांक 26/8/25 के पालना में हल्का पटवारी कार्मिकों के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर उपस्थित मोतबरान एवम् खातेदार के समक्ष खसरा नम्बर 247/51, 248/53 व 333/247 रकबा क्रमशः 35-09 बीघा, 38-[illegible] बीघा व 33-15 बीघा का आपसी सहमति से दिनांक 10-07-2023 को श्रीमान् तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/2020/5687 की पालना में जरीए नामान्तरण संख्या 504 दिनांक 16-07-2023 को किया गया था। मौके पर खातेदारों को दिशाओं का ज्ञान न होने के कारण विभाजन गलत हो गया। पूर्व में हुए नामान्तरण संख्या 177 में बेचान के तहत भी पूर्व में तरमीम गलत हो गयी। मौके पर हुकमाराम पुत्र कालाराम, चूनी पत्नी कालाराम को खसरा नम्बर 247/51 रकबा 4-02 बीघा व ख.नं. 248/53 रकबा 22-13 बीघा किया गया जबकी मौका व कब्जा अनुसार हुकमाराम पुत्र कालाराम चुनी पत्नी कालाराम को ख.नं. 248/53 में परिशिष्ट 'ब' अनुसार रकबा, 4+22-16=26-16 बीघा शुद्ध किए जाने की सहमति दी। मंगला किशनी पत्नी मंगला व खातेदार चुना, जैला पिता मंगला जिनके ख.नं. 247/51, 248/53, 333/247 रकबा क्रमशः 13-06, 0-08, 13-00 बीघा किया गया जबकी मौका व कब्जा अनुसार चुना, जैला, मंगला व किशनी को ख.नं. 247/51, 248/53, 333/247 रकबा क्रमशः 13-09 बीघा, 0-10 बीघा, 12-18 बीघा कुल रकबा 26-17 बीघा शुद्ध किए जाने की सहमति दी।

लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

दीपाराम गर्ग
पटवारी (भू. अ.) कारटिया
तहसील सेड़वा

खातेदार शेरा पुत्र धुड़ा के खसरा नम्बर 247/51
रकबा 17-17 व ख.नं. 248/53 रकबा 8-18 बीघा
विभाजन किया गया। जबकी खातेदार शेरा के
मौका व कब्जा रास्तानुसार शेरा को खसरा नम्बर
क्रमश 247/51 व 248/53 रकबा क्रमश 16-18 बीघा
व 9-09 बीघा जुमले रकबा 26-17 बीघा शुद्ध
किए जाने की सहमति दी।

खातेदार टीकमा पुत्र धुड़ा के ख.नं. 248/53 रकबा
6-09 बीघा, व ख.नं. 333/247 रकबा 20-05 बीघा
का विभाजन किया गया। मौके पर टीकमा के
ख.नं. क्रमश 247/51, 333/247, 248/53 रकबा क्रमश
1-10 बीघा, 15-17 बीघा, 9-10 बीघा जुमले रकबा
26-17 बीघा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आपसी सहमति
सभी खातेदारों द्वारा दी गयी।

मौके पर खसरा नम्बर 247/51, 248/53 व 333/247 रकबा
मौके व कब्जे
क्रमश 0-04 बीघा, 0-03 बीघा, 0-10 बीघा
अनुसार क्रमश 0-03 बीघा, 0-03 बीघा, 0-02 बीघा
परिशिष्ट 'ब' अनुसार शुद्ध किया जाना है। रास्ता
भूमि होने से सभी खातेदारों ने उक्त भूमि किस्म
गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति दी।

मौके पर मूल ख.नं. 53 रकबा 38-12 बीघा
जो कि परिशिष्ट 'ब' अनुसार ख.नं. 53 का रकबा
30-05 बीघा एवं ख.नं. 51 रकबा 58-12 बीघा जो
की परिशिष्ट 'ब' अनुसार 64-01 बीघा व ख.नं. 335/51
का रकबा 30-10 बीघा जो परिशिष्ट 'ब' अनुसार
33-08 बीघा शुद्ध करने हेतु सहमति दी व शुद्ध
किया गया।

नक्शा [illegible] परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब'
फर्द मौका का [illegible] की गयी उपस्थित
मौतबिरान के फर्द [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

हुकमाराम
अ.नि. अमिलगुर
अ.नि. मीठी
अ.नि. किशनी
अ.नि. पीथा
अ.नि. हीरा
अ.नि. रुपा
अ.नि. लीलो
अ.नि. छमकला
अ.नि. हरचाराम
जगाराम ILR
तहसीलदार (भू.अ.) संड़वा

परिशिष्ट ०२ 'अ'

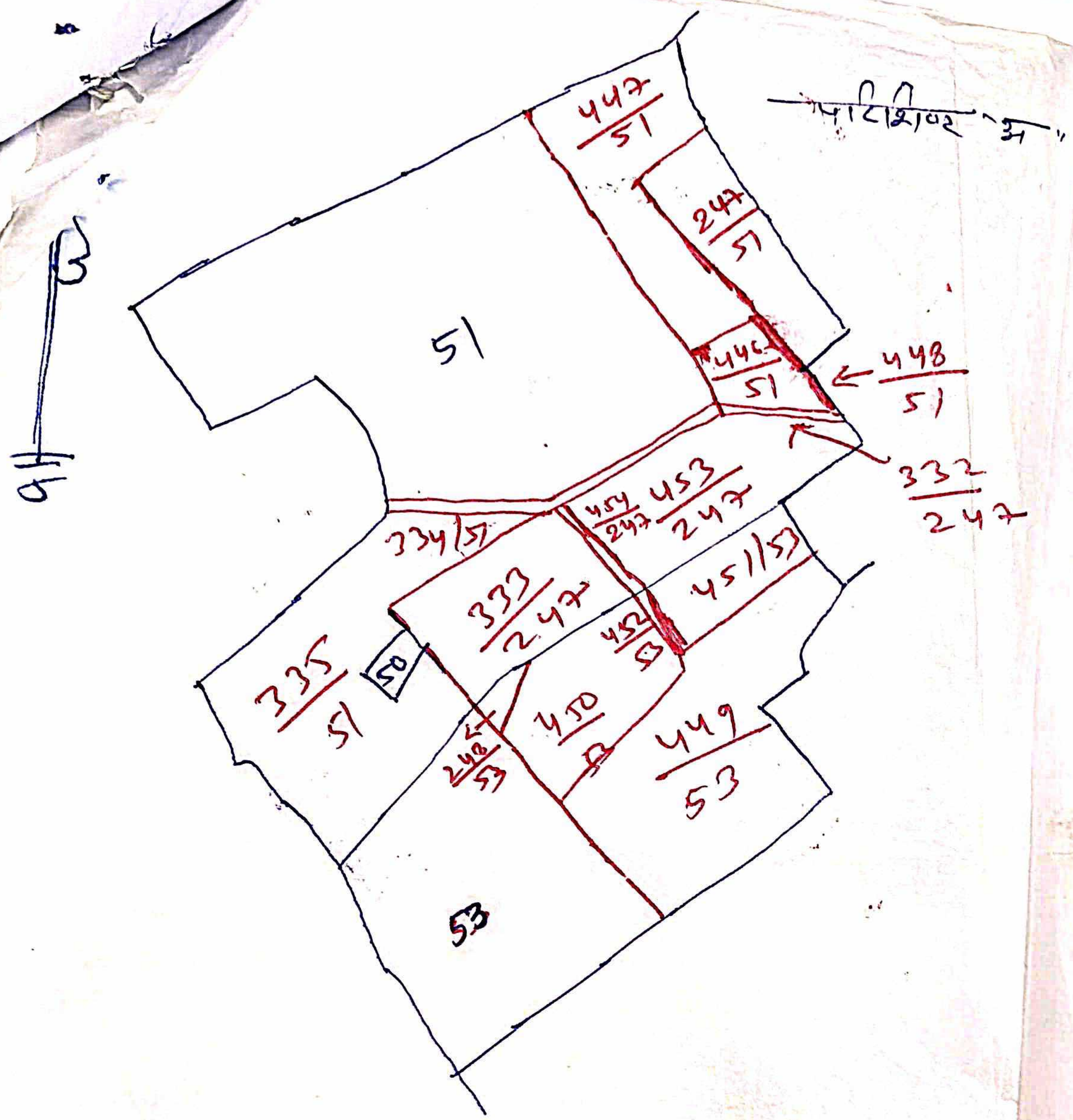

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested

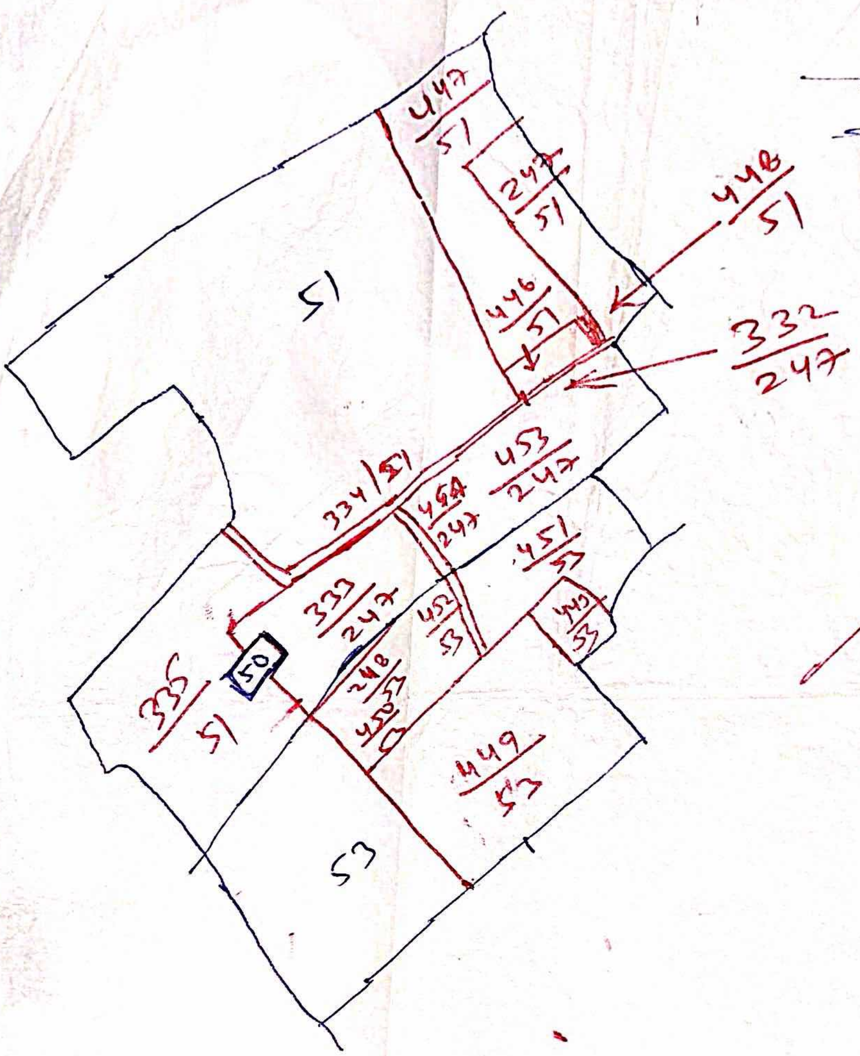

पटवारी (भू. अ.)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:29 IST
Reason: SelfAttested